न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करेडा जिला–भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी :–महीपाल सिंह, आर0ए0एस0

मुकदमा संख्या :– 64/2020 प्रा०प०

(1) श्री गोपी पिता हमीर कुमावत नि० डेलास त० करेड़ा वगै०/

––प्रार्थी।

....सन्.............

बनाम

1–श्री कंवरलाल S/o रामा कुमावत नि० डेलास त० करेड़ा वगै०/

––विपक्षीगण।

नम्बर
अहका
हुक्म
में

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0भू0रा0अधि0 1956

:: **निर्णय** :: दिनांकः 10/8/2020

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0 भू0 राज0 अधि01956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम डेलास पटवार हल्का रामपुरिया भू0अ0नि0 क्षेत्र निम्बाहेड़ा में उनके खाता संख्या 27 की आ0नं0 38/1 रकबा 2.15 बीघा, 104/2 र० 0.17 बीघा, 105/1.02, 707/2/1.01, 716/0.02 किता 5 रकबा 5.17 बीघा / स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा सबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थीगण अपने खाते/संयुक्त खातें की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 05/6/2020 को पंजीबद्व किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्व है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एंव कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा–फैरी होने का अदेंशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों का देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: **आदेश** ::

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम डेलास पटवार हल्का रामपुरिया भू0अ0नि0 क्षेत्र निम्बाहेड़ा जाटान में उनके खाता संख्या 27 की आ0नं0 38/1/2.15, 104/2/0.17, 105/1.02, 707/2/1.01, 716/0.02 किता 5 कुल रकबा 5.17 बीघा भूमि स्थित है। भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू.अ.नि0 निम्बाहेड़ा जाटान को 650/– रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुस्तकिल बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावे।

सलंग्न :–प्रार्थना पत्र प्रति।

उपखण्ड अधिकारी
करेडा जिला भीलवाड़ा

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलेक्टर करेड़ा

प्रतिलिपि :– तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
करेडा जिला भीलवाड़ा

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलेक्टर करेड़ा